

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा.(III) यो.-74/2016-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय- राज्य स्कीम अन्तर्गत स्थापित विभागान्तर्गत नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी, वी. पी. मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी के संचालन हेतु वेतन एवं भत्ते सहित अन्य मदों में कुल रू. 78,31,000=00 (अठहतर लाख इकतीस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी, वी. पी. मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी के क्रमशः पत्रांक-3, दिनांक 03.01.2018, पत्रांक-206, दिनांक 14.12.2017 एवं पत्रांक-747, दिनांक 02.01.2018 के आलोक में राज्य स्कीम अन्तर्गत स्थापित उक्त संस्थानों के संचालन हेतु वेतन एवं भत्ते सहित अन्य मदों में कुल रू. 78,31,000=00 (अठहतर लाख इकतीस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

विषय शीर्ष	नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजी., चण्डी	वी.पी. मंडल अभि. महावि., मधेपुरा	सीतामढ़ी इंस्टी. ऑफ टेक., सीतामढ़ी	स्वीकृत कुल राशि (रू. में)
1	2	3	4	5
01 03 जीवन यापन भत्ता	300000	334000	600000	1234000
01 04 मकान किराया भत्ता	100000	145000	200000	445000
योग-01-वेतन	400000	479000	800000	1679000
13 04 विद्युत प्रभार	1000000	0	0	1000000
14 01 किराया महसूल एवं कर	500000	0	0	500000
28 02 संविदा सेवाएं	2452000	700000	1500000	4652000
कुल योग	4352000	1179000	2300000	7831000

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष -2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष- 112- इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष -0101- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन उपबंधित राशि से विकलनीय होगी, जिसका विपत्र कोड 43-2203001120101 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, हिलसा, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी से की जायेगी।

5. उक्त संस्थानों में शिक्षकों एवं तकनीकी/प्रशासनिक सहायक कर्मियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को उनके द्वारा सम्पादित कार्यों के लिए निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में स्वीकृत राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

6. उक्त संस्थान में रिक्त पदों पर संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हता धारित चयनित अतिथि सहायक प्राध्यापकों तथा योग्य अर्हता धारित चयनित अतिथि अनुदेशकों/ प्रयोगशाला सहायकों को उनके द्वारा सम्पादित व्याख्यानों/प्रायोगिक/सात्रिक के लिए

आदेश

विभागीय संकल्प संख्या-707, दिनांक 23.3.2017 द्वारा निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में स्वीकृत राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग के लिए संसूचित उद्ब्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ -

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो०-74/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो०-74/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, हिलसा/मधेपुरा/सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो०-74/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी/ वी. पी. मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा/सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(III) यो०-74/2016-

578

/पटना, दिनांक-

1.3.018

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/18

सरकार के उप सचिव

01/03/18